

कार्यालय जिलाधीश, गुरुग्राम।

आदेश

प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अनुरोध किया है की Removal of obstacles (Structure) from the ROW of Badshahpur Drain Across Khandsa Village की कार्यवाही की जानी है। कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए इयूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस सहायता मय महिला पुलिस प्रदान करने की आवश्यकता है।

अतः मै, अमित खत्री, भा0प्रा0से0, जिलाधीश गुरुग्राम, उक्त के मध्यनजर जाबता फौजदारी 1973 of (35) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रकाश वीर नायब तहसीलदार कादीपुर (9416445544) को आगामी आदेशो तक कार्य के पूर्ण होने तक इयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करता हूं। इयूटी मैजिस्ट्रेट Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

हस्ता0/-

जिलाधीश, गुरुग्राम।

पृ0 क्रमांक 135 /एम.बी,

दिनांक 23/11/19

इसकी एक प्रति निम्न अधिकारियों को भेजकर लिखा जाता है कि उक्त स्थान पर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (Status quo/Stay order) तो नहीं पारित किया गया है अगर है तो न्यायालय के आदेशों की पालना की जावे तथा नियम अनुसार कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित विभाग की जिम्मेवारी होगी।

1. पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम को भेजकर अनुरोध है कि इयूटी मैजिस्ट्रेट को आवश्यकता अनुसार पुलिस सहायता मय महिला पुलिस बल प्रदान करने का कष्ट करें।
2. प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरुग्राम।
3. पुलिस उपायुक्त (मुख्या0), गुरुग्राम।
4. सम्पदा अधिकारी-1 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरुग्राम।
4. श्री प्रकाश वीर नायब तहसीलदार कादीपुर (इयूटी मैजिस्ट्रेट)।
5. कार्यकारी अभियन्ता VI, HSVP गुरुग्राम।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गुरुग्राम। (जिला गुरुग्राम की Website पर upload करने बारे)
7. आशुतिपिक उपायुक्त, गुरुग्राम।

कृते: जिलाधीश, गुरुग्राम।